मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–1–2015–3–एक   भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– **सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्व लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण।**

संदर्भः–
1. क सी–5–3–1991–3–एक, दिनांक 08.02.1991
2. क सी–6–2–2000–3–एक, दिनांक 28.01.2000
3. क सी–6–5–2000–3–एक, दिनांक 11.08.2000
4. क सी–6–1–2000–3–एक, दिनांक 21.01.2001
5. क सी–6–1–2006–3–एक, दिनांक 03.01.2006
6. क सी–6–3–2009–3–एक, दिनांक 22.10.2009
7. क सी–6–1–2014–3–एक, दिनांक 28.03.2014

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें जिनके द्वारा समय–समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष की समयावधि में आवश्यक रूप से निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2– जांच प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही न होने से शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें अपने स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इससे न्यायालय प्रकरण भी बनते है और शासन को अनावश्यक परेशानी होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दि 08.02.1991 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पैंशन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि के 2 वर्ष पूर्व ही कागजात तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय। साथ ही यदि किसी शासकीय सेवक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो तो उन्हें एक समयवद्व कार्यक्रम के अधीन निराकृत किया जावे ताकि निर्णयोपरांत "न जांच प्रमाण–पत्र" जारी करने में कठिनाई न हो।

कृ.प.उ.

3– उपरोक्त के अलावा विभाग के पैनल में से योग्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मानदेय के आधार पर जांच अधिकारी नियुक्त कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। **उपरोक्त के बावजूद शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि निर्धारित समय–सारणी के अनुसार विभागीय जांच प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे अनेक —पेंशन प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित हैं।**

4– कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे साथ ही समय–समय पर समीक्षा की जा कर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्व लम्बित जांच प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्व कार्यक्रम के तहत एवं निश्चित समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष के अंदर निराकृत किए जाएं।

5– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6–1–2015–3–एक
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग